विचार बिन्दु

**उदय होते समय सूर्य लाल होता है और अस्त होते समय भी।
इसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति के समय महान पुरुषों में एकरूपता होती है।
–कालिदास**

सोलह साल बाद हो रही जनगणना में जातियां भी गिनी जाएंगी

केंद्र सरकार ने नयी जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार जनगणना 10 वर्षों की बजाय 16 वर्षों के अंतराल से हो रही है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। प्रति दस वर्ष में होने वाली यह कवायद 2021 में होनी थी किन्तु कोविड महामारी के दौर में उसे स्थगित कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधान के अनुरूप सोमवार को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर संदर्भ तिथियों के साथ जनगणना का कार्यक्रम घोषित किया है। इस बार की जनगणना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें नागरिकों की जातिवार गणना भी की जाएगी। देश या क्षेत्र विशेष की आबादी के बारे में जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक आंकड़े इकट्ठा करने, उसके संकलन, विश्लेषण और सार्वजनिक करने को जनगणना कहा जाता है। देश में रहने वाले लोगों के विकास के लिए यह जानना ज़रूरी होता है कि लोग कौन हैं, वो किस स्थिति में हैं, कितने पढ़े-लिखे हैं, कौन क्या करते हैं, कितने लोगों के पास रहने को घर हैं, कितनों के पास नहीं हैं, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है आदि के उत्तर दर्ज किए जाते हैं। जनगणना इन्हीं सब आंकड़ों को जुटाने की प्रक्रिया होती है। इन आकड़ों का इस्तेमाल नीतियां और कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए किया जाता है। इस बार जातियों की गणना के साथ-साथ जनगणना दो चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। देश के ज़्यादातर हिस्सों में जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे को आधार तारीख़ माना जाएगा। वहीं, ठंडे और बर्फबारी वाले इलाकों जैसे लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना की तारीख 1 अक्तूबर 2026 तय की गई है। जनगणना 2011 में देश की जनसंख्या 1210.19 मिलियन थी, जिसमें 623.72 मिलियन (51.54 प्रतिशत) पुरुष और 586.46 मिलियन (48.46 प्रतिशत) महिलाएं थीं। भारत में अंग्रेजों के शासन काल में 1872 से जनगणना हो रही है। इस बार की जनगणना में जाति का नया आयाम जुड़ा है। हालांकि भारत में जाति गणना का इतिहास बहुत पुराना है। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने 1881 से 1931 के बीच हर दशक में आयोजित जनगणना प्रक्रिया में जाति गणना को शामिल किया था। इन सर्वेक्षणों ने विस्तृत जनसांख्यिकीय डेटा एकत्र करते हुए जनसंख्या को जाति, धर्म और व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत किया। यह प्रक्रिया आंशिक रूप से भारत की जटिल सामाजिक संरचना को समझने और उस पर शासन करने की औपनिवेशिक आवश्यकता से प्रेरित थी। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया। तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) को छोड़कर जाति गणना को बंद करने का फैसला किया। यह निर्णय इस विश्वास पर आधारित था कि जाति पर ध्यान केंद्रित करने से विभाजन को बढ़ावा मिल सकता है और एक नए स्वतंत्र राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके एक दशक बाद, 1961 में, केंद्र सरकार ने राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की राज्य-विशिष्ट सूचियां तैयार करने के लिए अपने स्वयं के सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। एससी और एसटी से परे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए सकारात्मक कार्रवाई की मांगों पर ऐसा किया गया। इसके लिए हालांकि, कोई राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना नहीं की गई।

बाद में जाति जनगणना एक राजनीतिक मुद्दे में बदल गई। केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की मंडल आयोग की सिफारिश ने जाति को फिर से राजनीतिक सुर्खियों में ला दिया। व्यापक जाति डेटा की कमी ने ओबीसी आबादी की सटीक पहचान और मात्रा निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण बना दिया, जिससे जाति जनगणना की मांग बढ़ गई। इसी के चलते 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा को आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। इस विषय पर विचार-विमर्श के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था और अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना कराने की सिफारिश की थी। मगर तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने जाति जनगणना के बजाय सर्वेक्षण का विकल्प चुना, जिसे सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) के रूप में जाना जाता है। यूपीए सरकार ने 2011 की जनगणना में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित की, जो 1931 के बाद से देश भर में जाति डेटा एकत्र करने का पहला प्रयास था। हालांकि उसमें प्राप्त जाति डेटा को कभी भी पूरी तरह से जारी या उपयोग नहीं किया गया। राष्ट्रीय जाति जनगणना की अनुपस्थिति में, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों ने हाल के वर्षों में अपने स्वयं के जाति सर्वेक्षण किए हैं। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य राज्य-विशिष्ट आरक्षण नीतियों और कल्याण कार्यक्रमों के लिए डेटा एकत्र करना था। संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार, जनगणना सातवीं अनुसूची में संघ सूची में 69वें स्थान पर सूचीबद्ध विषय है। गत 30 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि हालांकि कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वेक्षण किए हैं, लेकिन इन सर्वेक्षणों में पारदर्शिता और उद्देश्य अलग-अलग रहे हैं, कुछ सर्वेक्षण पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टिकोण से, समाज में संदेह पैदा करने के लिए किए गए हैं। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा सामाजिक ताना-बाना राजनीतिक दबाव में न आए, यह निर्णय लिया गया है कि जाति गणना को अलग सर्वेक्षण के रूप में आयोजित करने के बजाय मुख्य जनगणना में शामिल किया जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो और देश की प्रगति बिना किसी बाधा के जारी रहे।

इस बार जनगणना में डिजिटल माध्यम का भी उपयोग होगा। देर से हो रही जनगणना के आंकड़ों का नीति निर्माताओं तथा अर्थशास्त्रियों को ही इंतजार नहीं होगा बल्कि समाजशास्त्रियों और सामाजिक संगठनों की भी उन पर नजर होगी। भारत की तीव्र आर्थिक विकास की गति और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद के दौर में हो रही इस जनगणना के आंकड़े आधुनिक भारत की नई पहचान भी दे सकते हैं।

यह सवाल उठना स्वाभाविक ही है कि जाति जनगणना क्यों मायने रखती है? जाति जनगणना एक जनसांख्यिकीय प्रयास से कहीं अधिक है। यह गहरे सामाजिक निहितार्थों वाला एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। जनगणना में जाति को शामिल करने से आरक्षण नीतियों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय पहलों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। यह चुनावी रणनीतियों को भी नया रूप दे सकता है, क्योंकि पार्टियां विभिन्न जाति समूहों से समर्थन पाने की होड़ में लगी रहती हैं। जाति जनगणना के समर्थक यह मानते हैं कि भारत में आवश्यक सेवाओं - शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषण और सामाजिक सुरक्षा - तक पहुंच का एक बड़ा हिस्सा जाति, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्थिति की संरचनात्मक असमानताओं से प्रभावित होता है। इन अंतर-असमानताओं को उजागर करने और ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों, जो वास्तव में न्यायसंगत और समावेशी हों, को डिजाइन करने के लिए जाति जनगणना महत्वपूर्ण हो सकती है तथा सटीक जातिगत डेटा मौजूदा सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां बनाने में मदद कर सकता है। कई लोग जाति जनगणना को हाशिए पर पड़े समुदायों की पहचान करने और उनके उत्थान के लिए ज़रूरी मानते हैं, लेकिन अन्य लोग यह भी चेतावनी देते हैं कि इससे जातिगत पहचान मजबूत हो सकती है और समाज का विभाजन गहरा हो सकता है।

ऐसा माना जाता है कि जाति प्रथा सिर्फ हिंदुओं में ही होती है। मगर भारत में ऐसा नहीं है। इस्लाम में सैद्धांतिक रूप से जाति नहीं होती, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों में जातिगत श्रेणियां मौजूद हैं। जैसे अशराफ (सैयद, पठान, शेख, मुगल जैसी उच्च जातियां) जिन्हें अरब मूल का माना जाता है। सामान्य जातियां अजलाफ वे हैं जो आमतौर पर स्थानीय धर्म परिवर्तित लोग हैं। तीसरी अरज़ल जो निम्न माने जाने वाले समुदाय हैं जैसे भंगी या मेहतर, जिनका सामाजिक स्तर बहुत निम्न माना जाता है। दलित मुसलमानों को अब भी सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ईसाई धर्म में भी समानता का सिद्धांत है, लेकिन भारत में दलित ईसाई, ऊंची जाति के ईसाई (जैसे नायर, ब्राह्मण ईसाई), और आदिवासी ईसाई के बीच भेदभाव देखा गया है। चर्चों में भी कभी-कभी ऊंची और नीची जाति के लिए अलग बैठने की व्यवस्था या कब्रगाहें होती हैं। दलित ईसाइयों को कभी-कभी समान नेतृत्व वाली भूमिकाएं नहीं मिलतीं हैं।

भले ही जनगणना के लिए संदर्भ तिथियां एक अक्टूबर, 2026 (बर्फीले क्षेत्रों के लिए) और एक मार्च, 2027 (शेष भारत के लिए) हैं, लेकिन घरों की सूची बनाने का चरण अप्रैल 2026 तक शुरू होने की संभावना है। इससे पहले, गणनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को जनगणना प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। जनगणना 2027 के क्षेत्र में निर्बाध निष्पादन सुनिश्चित करके जनगणना को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए प्रशिक्षण, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। शीर्ष स्तर पर, कम से कम 100 राष्ट्रीय प्रशिक्षक होंगे। राष्ट्रीय प्रशिक्षकों को जनगणना और प्रशिक्षक विकास कौशल दोनों पर प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि अगले स्तर यानी मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जा सके। लगभग 1800 मास्टर ट्रेनर फील्ड ट्रेनर को प्रशिक्षण देंगे। लगभग 45,000 फील्ड ट्रेनर फील्ड कार्यकर्ताओं यानी गणनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे। फील्ड ट्रेनर उप-जिला स्तर पर लगभग 30 लाख गणनाकर्ताओं और उनके पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। ये गणनाकर्ता और पर्यवेक्षक निर्दिष्ट स्थानों पर घर-घर जाकर गणना करेंगे। इस बार जनगणना में डिजिटल माध्यम का भी उपयोग होगा। देर से हो रही जनगणना के आंकड़ों का नीति निर्माताओं तथा अर्थशास्त्रियों को ही इंतजार नहीं होगा बल्कि समाजशास्त्रियों और सामाजिक संगठनों की भी उन पर नजर होगी। भारत की तीव्र आर्थिक विकास की गति और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद के दौर में हो रही इस जनगणना के आंकड़े आधुनिक भारत की नई पहचान भी दे सकते हैं।

**–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)**

हर बूँद में जीवन, हर जन में भागीदारी: राजस्थान में जल जन अभियान-2025 की लहर

मीनल जीनगर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2025 करोड़ों राजस्थानियों को जल संरक्षण, पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने और जमीनी स्तर पर भागीदारी, सार्वजनिक जागरूकता और नीति नवाचार के माध्यम से एक धारणीय भविष्य का निर्माण करने के लिए एकजुट मिशन में जुटा रहा है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अपनी शुष्क जलवायु, अनियमित वर्षा और घटते भूजल के कारण गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, एक महत्वपूर्ण अभियान है जिसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी, वैज्ञानिक नियोजन और विकेंद्रीकृत शासन के माध्यम से राज्य में जल प्रबंधन को बदलना है जिसे राजस्थान सरकार ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ साझेदारी में शुरू किया था।

राजस्थान ऐतिहासिक रूप से जल-संकटग्रस्त राज्य रहा है जहाँ कई जिलों को भूजल के अत्यधिक दोहन की श्रेणी में चिह्नित किया गया है। वर्षा न केवल कम होती है, बल्कि असमान रूप से वितरित होती है जिससे सतही जल की उपलब्धता भी बेहद कम हो जाती है। राज्य में बावड़ी, कुंड, जोहड़ और टांका जैसे पारंपरिक जल-संग्रहण प्रणालियों की समृद्ध विरासत रही है किंतु इनका अधिकांश हिस्सा अब जर्जर अवस्था में है या उपयोग से बाहर हो चुका है। इसके अतिरिक्त अतिक्रमण, उपेक्षा और सामुदायिक उत्तरदायित्व की कमी ने इन संरचनाओं की प्रभावशीलता को घटा दिया है। यह अभियान जनसहभागिता के माध्यम से इन प्राचीन जल-संरचनाओं का पुनरुद्धार और पुनर्जीवित करने का प्रयास है।

यह अभियान मुख्यमंत्री जनलाल शर्मा द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के अवसर पर 5 जून, 2025 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। यह शुभारंभ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला के माध्यम से हुआ, शुभारंभ समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने जमवा रामगढ़ के रामगढ़ बांध क्षेत्र में स्वयं श्रमदान कर अभियान को जनभागीदारी से जोड़ने का संदेश दिया और राज्य के विभिन्न प्रमुख स्थलों पर वैदिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। यह अभियान आधिकारिक रूप से 5 जून से 20 जून तक चलेगा जो 15 दिनों तक जनभागीदारी की सघन गतिविधियों से भरपूर होगा।

जल जन अभियान का मूल उद्देश्य सामुदायिक स्वामित्व, वैज्ञानिक जल बजट निर्धारण, और पारंपरिक जल-बुद्धि के पुनरुद्धार जैसे सिद्धांतों में निहित है। यह अभियान कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। बावड़ियों, कुंडों, जलाशयों, जोहड़ों और बांधों जैसे पारंपरिक जल स्त्रोतों का संरक्षण और पुनर्जीवन किया जाएगा। इसमें रामगढ़ बांध जैसे ऐतिहासिक स्थलों को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में जल धारण क्षमता और भूजल स्तर में वृद्धि सुनिश्चित करना है।

'कर्मभूमि से मातृभूमि' तक की जल सरंचना पहल :- संरक्षण हेतु जल संरचनाओं का निर्माण और पुनर्निर्माण जिसमें एनीकट, चेकडैम, बंध, फार्म तालाब और जल संचयन से जुड़ी अन्य संरचनाएँ शामिल हैं। अगले चार वर्षों में 45,000 से अधिक संरचनाएँ बनाई/मरम्मत की जाऐगी जिसमें पहले वर्ष में 5,000 निर्माण का लक्ष्य है।

भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा :- शुष्क और अति-शोषित क्षेत्रों में भूजल स्तर को स्थिर और मजबूत करने के लिए सतही जल का बहाव रोकना, जलाशयों की गाद हटाना, और बोरवेल पुनर्भरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले ही दिन 345 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की नींव रखी और उद्घाटन किया जिससे मानसून से पहले जल धारण क्षमता बढ़ेगी।

जल स्त्रोतों की सफाई और संरक्षण :-नदियों, झीलों, कुओं और बावड़ियों की सफाई के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। बड़े संस्थानों और नगरों में अपशिष्ट जल उपचार परियोजनाएँ शुरू की जाएंगी ताकि जल स्त्रोत प्रदूषित न हों।

जनजागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा :-जन सहभागिता के लिए श्रमदान, नुक्कड़ नाटक, गीत, फिल्में, पौधारोपण, कलश यात्राएँ और सामुदायिक संकल्प कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नागरिकों को सक्रिय रूप से अभियान से जोड़ा जा रहा है।

संस्थागत और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन :- पंचायतों, स्कूलों, महिला समूहों (जैसे आंगनबाड़ी/राजीविका), धार्मिक नेताओं और सीएसआर/दानदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को पानी पंचायत योजना तैयार करने का दायित्व दिया गया है जो स्थानीय जल विज्ञान और मांग के अनुसार आधारित होगी। ग्रामीणों को जल लेखा, जल संतुलन और जलवायु-प्रतिकारक योजना में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

पारिस्थितिक क्रियाओं को सांस्कृतिक श्रद्धा से जोड़ना :- विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा जैसे पावन अवसरों से अभियान का शुभारंभ किया गया है। घाटों और मंदिरों में कलश यात्रा और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित कर जल के प्रति भावनात्मक-सांस्कृतिक संबंध को सुदृढ़ किया जा रहा है।

मूल्यांकन, निगरानी और समन्वय में सुधार :-अभियान की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन प्रगति का मूल्यांकन, विभागीय समन्वय और सोशल मीडिया प्रचार किया जा रहा है। जल संकटग्रस्त क्षेत्रों और पुनर्भरण स्थलों की पहचान जीआईएस और रिमोट सेंसिंग तकनीकों से की जा रही है। जल उपयोग और कार्य प्रगति की निगरानी के लिए मोबाइल ऐप्स और डैशबोर्ड भी शुरू किए गए हैं।

दीर्घकालिक नीतिगत समन्वय :-जल सुरक्षा को स्थायी बनाने के लिए इस अभियान को पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ परियोजना (राम जल सेतु योजना) जैसी प्रमुख दीर्घकालिक परियोजनाओं से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस योजना का पहला चरण 9,400 करोड़ रूपए की लागत से एलिवेटेड कैनाल प्रोजेक्ट-वन विभाग से स्वीकृत हुआ है जिससे 17 जल-संकटग्रस्त जिलों को चंबल का जल मिलेगा।

शहरी स्वच्छता और जल गुणवत्ता में सुधार :-अस्पतालों में सीवेज उपचार संयंत्र, धूल नियंत्रण हेतु सड़क पर पानी का छिड़काव, ई-वेस्ट संठाहण वाहन, और रासायनिक प्रदूषण से प्रभावित जल का उपचार जैसी पहलें शुरू की गई हैं।

आज की एक बूँद, कल का भविष्य :-जल जन अभियान-2025 केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि एक परिवर्तनकारी आंदोलन है जो यह परिभाषित करता है कि राजस्थान जल को कैसे मूल्य देता है, संरक्षित करता है, और भावनात्मक रूप से उससे जुड़ता है। उस प्रदेश में जहाँ हर वर्षा की बूँद आशा और अस्तित्व का प्रतीक है, यह पहल न केवल सदियों पुरानी परंपराओं को फिर से जीवित कर रही है बल्कि नवाचार को गाँव-गाँव तक पहुँचा रही है और लाखों लोगों को "जल संरक्षण -जल जीवन" के एकजुट ध्येय में बाँध रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दृढ़ और दूरदर्शी नेतृत्व में यह अभियान केवल फाइलों और वादों तक सीमित नहीं रहा। इसने जीवन को छुआ है, नदियों को फिर से जीवंत किया है, भूले-बिसरे जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित किया है और सबसे महत्वपूर्ण बात-सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को जाठात किया है। सरकारी कर्मचारियों से लेकर किसानों तक, विद्यार्थियों से लेकर संतों तक, ग्राम पंचायतों से लेकर शहरी नागरिकों तक-हर कोई इस मिशन का भागीदार बन चुका है।

हर साफ की गई टंकी, हर मरम्मत हुआ एनीकट और हर संजोई गई बूँद-यह सभी सामूहिक प्रयासों की शक्ति का प्रमाण हैं। श्रमदान, पौधारोपण, कलश यात्रा, नुक्कड़ नाटक, और जागरूकता रैलियों के माध्यम से यह अभियान केवल जल स्त्रोतों को नहीं बल्कि सामाजिक ताने-बाने, सांस्कृतिक गौरव और पर्यावरणीय चेतना को भी पुनर्जीवित कर रहा है। यह केवल ढांचागत विकास नहीं, यह मानसिकता का परिवर्तन है। यह लोगों को अपने संसाधनों का स्वामी बनाने का आंदोलन है, यह युवाओं को प्रकृति का रक्षक बनने की प्रेरणा देता है, यह दिखाता है कि स्थायी विकास की नींव गाँवों से शुरू हो सकती है। जैसे-जैसे राजस्थान भविष्य की ओर बढ़ता है, जल जन अभियान की विरासत पीढ़ियों तक प्रतिध्वनित होगी, न केवल बहती नदियों या भरे तालाबों में, बल्कि हर बूँद के प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व की संस्कृति में।

''जल है तो कल है।''

जल ही जीवन है, जल ही भविष्य है। और जब हम जल को बचाते हैं, तो हम केवल एक संसाधन नहीं-बल्कि अपनी पहचान, समृद्धि और अपनी संतानों का कल सुरक्षित करते हैं।

हर नागरिक जल संरक्षक बने।
हर गाँव में गूँजे जल रक्षा की भावना।
समय अब है।
मिशन हमारा है।

**सुश्री मीनल जीनगर
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।**

विश्व बैंक की पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट भारत में गरीबी उन्मूलन का एक दशक

डॉ. सुरेंद्रसिंह शेखावत

नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने ग्यारह साल के शासन को सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित किया है। निश्चित ही अगर गरीब कल्याण की बात की जाए तो पिछले एक दशक में भारत ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, जिसकी पुष्टि विश्व बैंक की हालिया जारी रिपोर्ट पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ ने की है। यह रिपोर्ट भारत के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में आए सकारात्मक बदलावों को रेखांकित करती है, जो नीतिगत सुधारों, सरकारी योजनाओं और समावेशी विकास के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है।

विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 2011-12 से 2022-23 के बीच भारत ने लगभग 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। इस एक दशक में अत्यधिक गरीबी दर 27.1 फीसदी से घटकर 5.3 फीसदी रह गई है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो न केवल भारत की आर्थिक प्रगति को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक समावेश और समृद्धि के क्षेत्र में भी देश की मजबूत स्थिति को उजागर करती है। इस ब्रीफ के विश्लेषण से गरीबी में कमी, ग्रामीण-शहरी असमानता में कमी और सरकारी योजनाओं की भूमिका को समझा जा सकता है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी (प्रतिदिन 2.15 डॉलर से कम आय पर आधारित) 2011-12 में 16.2 फीसदी से घटकर 2022-23 में 2.3 फीसदी हो गई है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक ने अपनी गरीबी रेखा को संशोधित कर तीन डॉलर प्रतिदिन (2021 की कीमतों के आधार पर) कर दिया है, जिसके तहत 2022-23 में गरीबी दर 5.3 फीसदी रही। इस दौरान लगभग 26.9 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले, जो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह प्रगति भारत की आर्थिक नीतियों और सामाजिक कल्याण योजनाओं की सफलता को दर्शाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी विशेष रूप से प्रभावशाली रही है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण अत्यधिक गरीबी 18.4 फीसदी से घटकर 2.8 फीसदी रह गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 10.7 फीसदी से घटकर 1.1 फीसदी रहा है। इससे ग्रामीण-शहरी गरीबी का अंतर 7.7 फीसदी से घटकर 1.7 फीसदी हो गया, जो 16 प्रतिशत की वार्षिक कमी को दर्शाता है। यह बदलाव भारत सरकार की उन योजनाओं का परिणाम है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, रोजगार और सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित रही हैं।

विश्व बैंक की रिपोर्ट केवल आर्थिक गरीबी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के माध्यम से गैर-मौद्रिक गरीबी में कमी को भी रेखांकित करती है। एमपीआई स्वास्थ्य, शिक्षा, और जीवन स्तर जैसे कारकों को ध्यान में रखता है। 2005-06 में भारत में बहुआयामी गरीबी 53.8 फीसदी थी, जो 2019-21 तक घटकर 16.4 फीसदी और 2022-23 में 15.5 फीसदी हो गई। यह कमी दर्शाती है कि भारत न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर भी प्रगति कर रहा है।

गरीब आदमी तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लगभग सार्वभौमिक कवरेज, और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार ने इस प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उदाहरण के लिए, विश्व बैंक समूह के सहयोग से भारत सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और छोटे उद्यमों के लिए वित्तपोषण तक पहुंच प्रदान करने में सफल रहा है। इस मिशन के तहत 16.43 करोड़ अमेरिकी डॉलर के 100,000 से अधिक ऋण महिला-स्वामित्व वाले उद्यमों को प्रदान किए गए हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिला है।

भारत सरकार ने पिछले एक दशक में कई ऐसी योजनाएं लागू की हैं, जिन्होंने गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में मुफ्त और रियायती खाद्यान्न हस्तांतरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और रोजगार सृजन योजनाओं को गरीबी में कमी का प्रमुख कारक बताया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान किए, जिससे ग्रामीण गरीबी में कमी आई। विशेष रूप से, छोटे और सीमांत किसानों की आय में 2013 और 2019 के बीच 10 फीसदी की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना ने गरीब परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करके स्वास्थ्य संबंधी खर्चों का बोझ कम किया।

विश्व बैंक की रिपोर्ट में रोजगार वृद्धि को भी गरीबी में कमी का एक प्रमुख कारक बताया गया है। 2021-22 से रोजगार दर में सुधार देखा गया है, विशेष रूप से महिलाओं के बीच। शहरी बेरोजगारी 2024-25 की पहली तिमाही में 6.6 फीसदी तक घट गई, जो 2017-18 के बाद सबसे कम है। स्वरोजगार, खासकर ग्रामीण श्रमिकों और महिलाओं के बीच बढ़ रहा है, जो आर्थिक आत्मनिर्भरता को दर्शाता है।

भारत की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद लचीलापन दिखाया है। विश्व बैंक ने अपनी नेविगेटिंग द स्टॉर्म रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.9 फीसदी होगी, जबकि यह 7.2 फीसदी रही जो अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत मजबूत है। निजी खपत और निवेश में वृद्धि साथ ही सरकार के पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के प्रयासों ने घरेलू मांग को समर्थन दिया है।

भारत ने गरीबी उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद चुनौतियां कम नहीं हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उपभोग में असमानता (गिनी सूचकांक 35 के स्तर पर) और बाल कुपोषण (35.5 फीसदी बच्चे अविकसित) अभी भी चिंता का विषय हैं। इसके अलावा श्रमबल में महिलाओं की कम भागीदारी और उच्च शिक्षा प्राप्त स्नातकों में बेरोजगारी (29 फीसदी) जैसी समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार की नीतियां और विश्व बैंक जैसे संस्थानों का सहयोग इन चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शिक्षा, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे में निवेश को और बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि यह प्रगति सतत और समावेशी बनी रहे।

**- डॉ. सुरेंद्रसिंह शेखावत,
(लेखक स्वतंत्र चिंतक है।)**

राशिफल बुधवार 18 जून, 2025

पंडित अनिल शर्मा

आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, रेवती नक्षत्र रात्रि 9:45 तक, शोभन योग रात्रि 11:47 तक, गर करण प्रातः 9:50 तक, चन्द्रमा रात्रि 9:45 से मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-मीन, मंगल-सिंह, बुध-मिथुन, गुरू-मिथुन, शुक्र-मेष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज अमृत सिद्धि योग सूर्योदय से दिन 9:50 तक है। सर्वार्थ सिद्धि सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा। कुमार योग रात्रि 9:45 से सूर्योदय तक है। भद्रा रात्रि 8:35 से आरम्भ होगी। पंचक रात्रि 9:45 तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:20 तक, लाभ अमृत 7:20 से 10:45 तक, शुभ 12:28 से 2:11 तक, चर 5:36 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:37, सूर्यास्त 7:19

मेष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब होगा।

वृष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

कर्क
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

सिंह
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा।

कन्या
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान